ईसाई महिला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैवाहिक अधिकार नहीं मांग सकती

मद्रास उच्च न्यायालय की युगल पीठ का महत्वपूर्ण निर्णय

जी.के. छिब्बर

मद्रास उच्च न्यायालय की युगल पीठ - न्यायमूर्ति पी.टी. आशा एवं न्यायमूर्ति एन. माला - ने एस. रानी बनाम संपत की याचिका में निर्णय दिया है कि ईसाई महिला हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार वैवाहिक अधिकार नहीं मांग सकती है।

मद्रास उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने कहा है कि एक ईसाई महिला हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 9 के तहत एक हिंदू पुरुष के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग नहीं कर सकती।

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता महिला का दावा था कि उसकी शादी 10 जुलाई 2008 को विल्लुपुरम के पास एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। बाद में उसने पति पर क्रूरता और सास-ननद पर मारपीट का आरोप लगाया और कहा कि उसे घर से निकाल दिया गया। उसने परिवार न्यायालय, विल्लुपुरम में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पति को वापस साथ रहने के लिए कहने की याचिका दायर की। पति ने शादी से ही इन्कार कर दिया और कहा कि महिला ईसाई है, इसलिए यह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध शादी नहीं मानी जा सकती। परिवार न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा:

1. हिंदू विवाह अधिनियम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यह कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है, जो हिंदू की परिभाषा में आते हैं।

2. याचिकाकर्ता महिला ईसाई धर्म मानती है (आदि द्रविड़ ईसाई), इसलिए वह हिंदू नहीं है।

3. इसलिए मंदिर में शादी का दावा करने से भी वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी नहीं बन जाती और उसे इस कानून के तहत कोई राहत नहीं मिल सकती।

उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

इस निर्णय का निष्कर्ष क्या है:

अगर एक पक्ष ईसाई है और दूसरा हिंदू, तो उनकी शादी का मामला हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं चलेगा। इसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत जाना होगा।

एआई और भविष्य के कौशल पर विद्यार्थियों को दी जानकारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन (बीएमए) ने टूबा कॉलेज के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए 'एआई एवं भविष्य के कौशल' विषय पर ज्ञानवर्धक एवं संवादात्मक सत्र आयोजित किया। मुख्य वक्ता सॉफ्ट ब्लॉक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एवं संस्थापक रचित जैश ने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई, शोध और कौशल विकास में एआई के जिम्मेदारीपूर्ण एवं प्रभावी उपयोग की जानकारी दी।

बीएमए के मानद सचिव शंकर ने कहा कि तकनीक और एआई शक्तिशाली साधन हैं, लेकिन विद्यार्थियों के विकास की नींव निरंतर ज्ञानार्जन, आलोचनात्मक सोच और सीखने की प्रवृत्ति है। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्य एन.के. छिब्बर और मैनेजर आमिर खान भी उपस्थित रहे। अंत में टूबा कॉलेज के निदेशक राजीव जैन ने आभार व्यक्त किया।

भारतीय ज्ञान परंपरा में परीक्षा संचालन और मूल्यांकन पर कार्यशाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: एलएनसीटी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में 'भारतीय ज्ञान परंपरा में परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। कार्यशाला 7 और 8 सितंबर को आयोजित की गई। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को केवल मूल्यांकन तक सीमित न रखकर अधिक व्यावहारिक, प्रासंगिक और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने भारतीय मूल्यों और आधुनिक तकनीक के समन्वय पर जोर दिया। कार्यशाला में भारतीय ज्ञान प्रणाली, गुरु-शिष्य परंपरा, दक्षता आधारित मूल्यांकन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, प्रश्नपत्र निर्माण, डिजिटल परीक्षा संचालन और पारदर्शी एवं विद्यार्थी-केंद्रित मूल्यांकन पर विशेषज्ञों ने विचार रखे।

दूसरे दिन गुरुकुल परंपरा में विद्यार्थी मूल्यांकन, समग्र व्यक्तित्व विकास और विकसित भारत-2047 के लिए भारतीय परीक्षा मूल्यांकन मॉडल जैसे विषयों पर चर्चा हुई। देशभर के परीक्षा नियंत्रक, शोधकर्ता, शिक्षाविद् एवं विषय विशेषज्ञ शामिल हुए।

'दीक्षारम्भ 2026' में विद्यार्थियों को मिला प्रेरणादायी मार्गदर्शन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: बंसल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स (बीजीआई) में नवप्रवेशित बीटेक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के स्वागत के लिए 'दीक्षारम्भ 2026' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित डॉ. अर्चना शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं और विद्यार्थियों को प्रेरणादायी संबोधन दिया।

डॉ. शुक्ला ने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने, चुनौतियों का सामना करने और अपने ज्ञान एवं कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता केवल उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निरंतर सीखने और लक्ष्य के प्रति समर्पण की प्रक्रिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्थान की शैक्षणिक संस्कृति, अनुशासन, मूल्यों, तकनीकी एवं व्यावसायिक अवसरों तथा करियर संभावनाओं से परिचित कराना रहा।

बीआईएसटी के निदेशक डॉ. दामोदर तिवारी ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल एवं सफल शैक्षणिक भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम को विद्यार्थियों के शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत विकास की प्रेरणादायी शुरुआत बताया गया।

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
मैक ट्रिब्यूनल, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
एमएसीसी/513/2024
अफशा हसन बनाम तलत हसन
NEXT DATE 28.09.2026
प्रेषिति:-(1) सुल्तान जहां शौकत पता-गिन्नौरी तलैया भोपाल म.प्र. 462001 (2) तलत हसन अजहुल हसन पता-101 साईनाथ नगर कोलार रोड भोपाल म.प्र.-462001
यह कि प्रार्थी अफशा हसन ने आपके विरूद्ध एमएसीसी/513/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत आज तारीख 06.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।1 यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
न्यायाधीश-हिमांशु कौशल
मैक ट्रिब्यूनल
1529

आम सूचना
मेरे पक्षकार **ए.यू. स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि.**, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित हो कि श्रीमती परवीन बी पुत्र इरफान खान ने संपत्ति जो कि प्लॉट नं. 73, खसरा क्र. 21453 का अंश, बैंक कॉलोनी, मोतीया तालाब, जहाँगीराबाद, वार्ड नं. 34, तह. हुजुर, जिला भोपाल, में स्थित है, को मेरे पक्षकार के पास बंधक रखकर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया है। यह कि उक्त संपत्ति उन्होने दयाशंकर प्रधान से क्रय करने का अनुबंध किया है। उक्त संपत्ति का नाप 625 वर्गफिट है व चर्तुसीमायें पूरब-शर्मा का मकान, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-भंवरलाल का मकान व दक्षिण-रामेश्वर दयाल सक्सेना का मकान है। यह कि उक्त संपत्ति दीनदयाल प्रधान ने पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की थी जो कि उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक अ-1, ग्रंथ क्र. 746, दस्तावेज क्र. 2080 दिनांक 02/08/68 पर पंजीकृत है। तत्पश्चात दीनदयाल प्रधान ने वसीयत अपने पुत्र दयाशंकर प्रधान के पक्ष में निष्पादित की जो उप-पंजीयक कार्यालय भोपाल में पुस्तक अ-3, ग्रंथ क्र. 154, दस्तावेज क्र. 13 दिनांक 13/04/99 पर पंजीकृत है। तत्पश्चात दीनदयाल प्रधान की मृत्यु हो गई एवं उक्त वसीयत के आधार पर दयाशंकर प्रधान उक्त संपत्ति के मालिक व स्वामी हुए। यदि उक्त सम्पति में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, सोसायटी इत्यादि का किसी भी प्रकार का ऋण, भार, दान, बंधक या कोई हित हो या उक्त संपत्ति पर किसी प्रकार का अनुबंध हो तो, वह व्यक्ति, इस सूचना प्रकाशन के **07 दिवस** के अन्दर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेजी प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। यदि उक्त समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति को बंधक रखकर ऋण प्रदान कर देंगे तथा अवधि पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी आपत्ति या विवाद न तो मेरे पक्षकार पर बंधनकारी होगा एवं न ही मान्य होगा।
भवदीय- **दीपक शर्मा** (एडवोकेट)
कार्या.-ई-5/13-सी,अरेरा कालोनी,भोपाल
मोबाइल:-9993001229
1530

नीलगिरी सिक्यूरिटी सर्विसेस को-आपरेटिव सोसायटी (संघ) लिमिटेड इन्दौर (म.प्र.)
मुख्यालय-एच.आई.जी. 25
सरस्वती नगर जवाहर चौक भोपाल
वार्षिक आमसभा सूचना पत्र
संस्था के समस्त सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि नीलगिरी सिक्यूरिटी सर्विसेस को-आपरेटिव सोसायटी (संघ) लिमिटेड इन्दौर (म.प्र.) की (18) अठारहवीं वार्षिक आमसभा शनिवार दिनांक 26.09.2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे संस्था कार्यालय-एच.आई.जी.-25 सरस्वती नगर जवाहर चौक भोपाल (म.प्र.) में आयोजित की गई है। वार्षिक आमसभा में आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। बैठक की सूचना सदस्यों को डाक द्वारा भी भेजी जा चुकी है।
प्रबंधक
नीलगिरी सिक्यूरिटी सर्विसेस को-आप. सोसायटी (संघ) लिमिटेड इन्दौर (म.प्र.)
1531

In The Of III District and Session Judge, District court Singruali
Presiding Officer: **श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी**
संलग्न नोटिस प्रकाशन हेतु (RCA 62/2025)
इन्द्रेश पिता शेषमणि शर्मा वगैरह... **अपीलार्थी/वादी**
बनाम खमलूराम पिता परमसुख वगैरह...
उत्तरवादीगण/प्रतिवादी **पेशी दि. 25.9.2026**
प्रेषिती-1. वंशपति शिक्षा समिति द्वारा प्रीति पटेल पत्नी कमलेश्वर पटेल, उम्र 47 वर्ष, पता पटेल कैम्पस रातीबड़, भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.) 2. वंशपति शिक्षा समिति द्वारा कोषाध्यक्ष अजीत सिंह पटेल पिता इन्द्रजीत पटेल, उम्र 51 वर्ष, पता पटेल कैम्पस रातीबड़, भोपाल, जिला भोपाल (म.प्र.)। यह कि प्रार्थी इन्द्रेश शर्मा वगै. ने आपके विरूद्ध अपील अंर्तगत आदेश 41 नियम 1 सीपीसी के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एकपक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 07.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
धर्मेन्द्र सोनी, न्यायाधीश
तृतीय जिला न्यायाधीश सिंगरोली मुख्यालय वैढ़न (म.प्र.)
1532

म.प्र. बिजली कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्यादित, भोपाल
(ई-108, बिजली नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल पंजीयन क्रमांक-01 दिनांक 04.10.93)
क्रमांक/आमसभा/2026/
भोपाल, दिनांक 02.09.2026
सूचना
संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण आमसमा- दिनांक 20.09.2026 दिन रविवार को स्थान ई-108 बिजली नगर कालोनी, गोविन्दपुरा भोपाल में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई है । जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है । गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित होने की दशा में स्थगित साधारण आमसभा की बैठक उसी स्थान पर आधे घण्टे पश्चात होगी, जिसमें निम्न विषयों पर विचार किया जायेगा-
विषय सूची-1. वर्ष 2025-2026 की वार्षिक साधारण आमसभा की कार्यवाहियों की पुष्टि करना। 2. वर्ष 2026-27 के अनुमानित बजट को स्वीकृति देना। 3. शुद्ध लाभ के विनियोजन के सम्बंध में विचार करना। 4. संस्था की पंजीकृत उपविधियों के स्थान पर अद्यतन् संशोधित नवीन आदर्श उपविधियों अंगीकृत करने बाबत्। 5. संस्था के स्वयं के भवन हेतु बी.डी.ए. व हाउसिंग बोर्ड अथवा अन्य संस्थाओं से भूमि/भवन प्राप्त करने हेतु विचार करना। 6. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।
मनोज कुमार द्विवेदी
अध्यक्ष
1533

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.
प्रकरण क्रं. 1293/अ-6/2026-27
इश्तहार
आवेदक वंदना सेन आ./ पत्नि विमलेश सेन निवासी ग्राम हिनोतिया आलम द्वारा ग्राम-हिनोतिया आलम स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर 200/1/1 क्षेत्रफल 83.64 वर्गमीटर पर विक्रयपत्र/ फौती /वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/09/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 07/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।
अतिरिक्त तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.
1534

सूडोकु नवताल- 7895

★★★★☆ मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7894 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

काकुरो पहेली - 7568

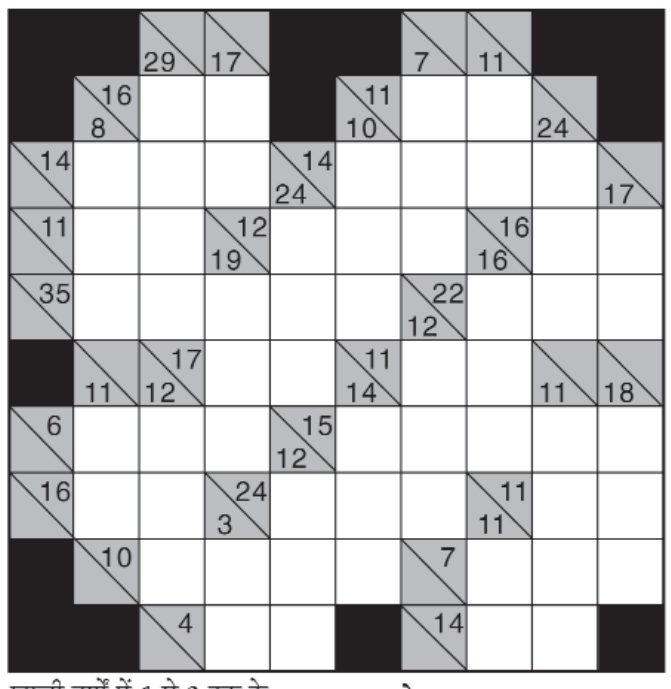

खाली वर्गों में 1 से 9 तक के अंक लिखकर नीचे से ऊपर व दाएं से बाएं की जोड़ हल्के रंग के आधे वर्ग की संख्या से मेल खानी चाहिए. किसी भी अंक का उस जोड़ में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता.

उदाहरणत:

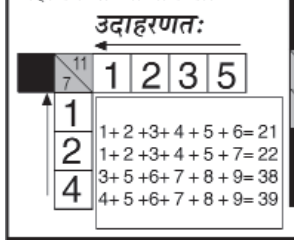

काकुरो - 7567 का हल

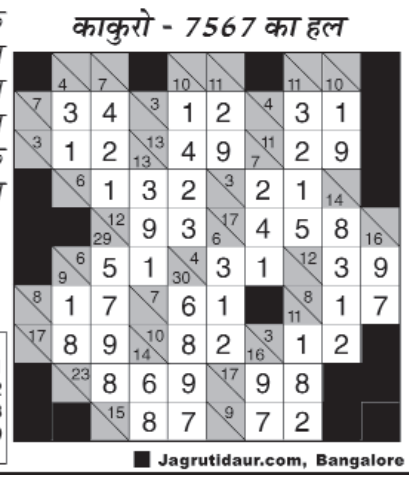

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8976

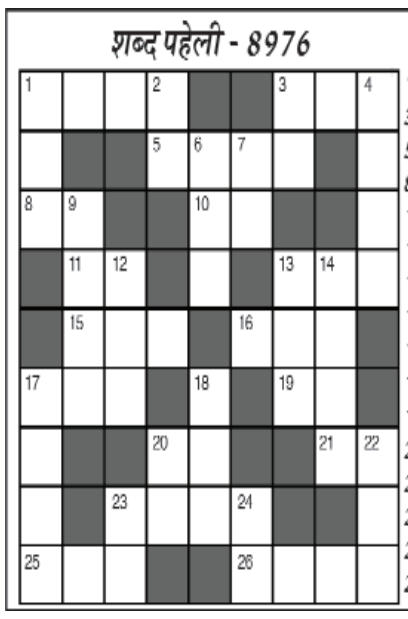

बाएँ से दाएँ

1. अँगरखा-4
3. मान-सम्मान, इज्जत-3
5. शुभाशीर्वाद, नियामत-4
8. केश-2
10. कसम, प्रतिज्ञा, वचन-2
11. बुरी आदत-2
13. मगरमच्छ-3
15. परिणाम-3
16. मौड़ी, स्टार्च-3
17. अक्षर (उर्दू-3)
19. रोम, केश-2
20. अधिकार, आरोप-2
21. सतह, स्तर, पटल-2
23. लूटपाट, डाका-4
25. सभ्यीकरण, विवेक-3
26. एक प्रसिद्ध कवि-4

ऊपर से नीचे

1. अनोखा, विचित्र, विलक्षण-3
2. नया, नवीन-2
3. इज्जत-2
4. कपोल-4
6. गमन, प्रेषित-3
7. पिता के पिता-2
9. चुनौती-4
13. गंदगी का ढ़ेर-3
14. असावधानी-4
17. जेल, कालकोठरी-4
18. शोर, ध्वनि, कंपन्न-3
20. ताप, शवदाह-2
22. यज्ञ, आहुति दान-3
23. रहस्य-2
24. जल, पानी-3

शब्द पहेली -8975 का हल

Jagrutidaur.com, Bangalore

फिल्म वर्ग पहेली- 7407

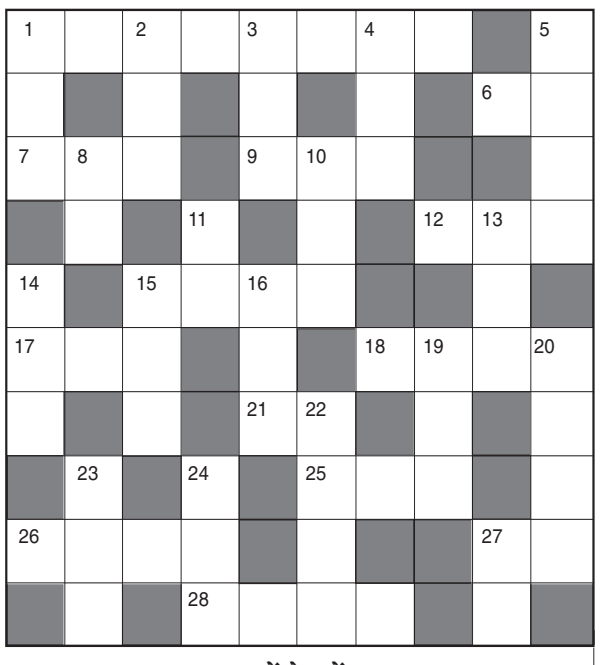

बायें से दायें:-

१. 'तुम्हें और क्या' गीत वाली राजेंद्र कुमार, सायरा की फिल्म-२,३,१,२
६. अमिताभ, जया भादुड़ी की 'मैं ने कहा फूलों से' गीत वाली फिल्म-२
७. 'दिल्ली की सर्दी' गीत वाली अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, बिपाशा बसु की फिल्म-३
९. संजयदत्त, विवेक मुशरान, मनीषा कोइराला की 'आँखों में नींदें ना' गीत वाली फिल्म-३
१२. 'मार ओडारी नी कुकिए' गीत वाली मनोज बाजवेयी, उर्मिला की फिल्म-३
१५. अजय देवगन, अमीषा की 'जो पल्लू गिरा दिया' गीत वाली फिल्म-४
१७. 'मैं निकला गड्डी लेके' गीत वाली सनी देओल, अमीषा पटेल की फिल्म-३
१८. मनोजकुमार, आशा की 'लो आ गई उनकी' गीत वाली फिल्म-१,३
२१. 'कमसिन कली हूँ' गीत वाली नाना पाटेकर, पुरू राजकुमार, अनुपमा वर्मा की फिल्म-२
२५. 'पाप दी ग्रेट' में किशनकुमार के साथ नायिका कौन थी?-३
२६. 'छोड़ दे जवानी में' गीत वाली राजेश खन्ना, राखी की फिल्म-४
२७. कमल सदाना, दिव्या की 'दिल चीर के देख' गीत वाली फिल्म-२
२८. 'एक लड़की दिल से गई' गीत वाली शरदकुमार, नंदा की फिल्म-२,२

ऊपर से नीचे:-

१. सुनील, सुष्मिता, नम्रता की 'दोस्ती हो गई रे' गीत वाली फिल्म-३
२. 'बोल गोरी बोल' गीत वाली सुनीलदत्त, नूतन की फिल्म-३
३. फिल्म 'बाबुल' में दिलीपकुमार के साथ नायिका कौन थी-३
४. 'यारा ओ यारा इश्क ने मारा' गीत वाली अमिताभ, मौसमी की फिल्म-३
५. धर्मेन्द्र, जीनत अमान की 'हम बेवफा हरगिज न थे' गीत वाली फिल्म-४
८. फिल्म 'शारदा' में राज कपूर के साथ नायिका कौन थी?-२
१०. ऋषिकपूर, श्रीदेवी की फिल्म-३
११. 'खोया है तूने जो' गीत वाली लक्की अली, गौरी कार्णिक की फिल्म-२
१३. 'चिनाई चुन चुन' गीत वाली फिल्म-३
१४. फरदीन खान, उर्मिला की फिल्म-३
१५. वसंत चौधरी, मोतीलाल, साधना की 'ओ सजना बरखा बहार' गीत वाली फिल्म-३
१६. संजयदत्त, नम्रता शिरोडकर की 'मेरी दुनिया है' गीत वाली फिल्म-३
१९. 'जीने की तमन्ना हो' गीत वाली फिल्म-३
२०. वी. शांताराम की 'आधा है चंद्रमा रात आधी' गीत वाली फिल्म-४
२२. 'नाजुक सी कली थी' गीत वाली अजय, मनीषा, करिशमा की फिल्म-४
२३. 'दिल जंगली कबूतर' गीतवाली फिल्म-३
२४. नवीन निश्चल, आशा की फिल्म-३
२७. फिल्म 'क्रोध' में सुनील शेट्टी के साथ नायिका कौन थी-२

फिल्म वर्ग पहेली- 7406

Jagrutidaur.com, Bangalore

अष्टयोग- 7501

5		7			3	4
	27	1	29	6	38	
	2		4	5		7
4	30		27	1	31	6
7		5	4		2	
6	42		39		23	3
	5	4		7	1	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 7500 का हल

5	1	3	4	2	6	7
6	31	2	28	3	30	1
1	6	7	3	4	2	5
4	33	4	29	1	31	6
3	7	1	4	5	6	2
7	34	6	35	7	40	3
2	3	5	1	6	7	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्दजाल - 8521

शब्दजाल में दस गायक एवं गायिकाओं के नाम ढूंढिए. नाम उपर से नीचे व तिरछे हैं.

मो.रफी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, तलत महमूद, सचिनदेव बर्मन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, के.एल.सहगल

गं	रा	जें	द्र	कु	मा	मो.	वा	ज	के.	यी
द	कि	ल	प्रे	व	जी	र	द	ह	ए	रा
वि	स	शो	म	त	ह	फी	म	ल	ल.	म
मि	स	स	र	दि	ल	ज	ध	क	स	दु
म	आ	चि	ग	कु	ज	त	तू	प	ह	प
हें	ल	न	र	दि	मा	उ	म	व	ग	मु
द्र	व	दे	फ्यू	जी	प	र	ज	ह	ल	के
क	एं	व	ई	द	ब	र्ड	डू	ए	मू	श
पू	ड	ब	फू	आ	शा	भो	स	ले	शी	द
र	गॉ	र्म	प	ल	ता	मं	गे	श	क	र
वि	ज	न	म	न्ना	डे	डि	त	ब	प	म

शब्दजाल - 8520 का हल

रो	क	ल	झी	म	बि	हा	रे	सी	ल	ज
र	ज	ल	दे	क्रां	हि	ब्र	इं	म	ट	वा
त	स	स्था	ल	र्म	मा	रा	रा	हा	ख	द
म	ज	ज	न	पु	च	रा	प	रा	ली	ब
मे	ध्य	दो	ग	त्ता	ल	क	तू	ष्ट्र	झ	उ
स	क	प्र	प	ह	प्र	र्ना	ना	ता	घ	त्त
गु	अ	स	दे	या	दे	ट	श	ज	ला	र
पे	ज	दा	ई	श	श	क	फ	रा	श	प्र
स	बा	रा	न	ब्रा	जी	ई	री	ल	प	दे
त्ता	पा	ला	त	शो	पं	जा	ब	ल	स्त्री	श
ह	रा	जी	व	गां	धी	उ	झी	सा	म	त

Jagrutidaur.com, Bangalore